क्रमांक 46 / 1 / 95-5पोल हरियाणा सरकार मुख्य सचिव कार्यालय राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक चण्डीगढ 22 जनवरी, 2025

ŕ

सेवा में.

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।

आयुक्त, अम्बाला / हिसार / रोहतक / फरीदाबाद / करनाल और गुरूग्राम मण्डल ।

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

हरियाणा राज्य के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 30 जनवरी, विषय:-2025 को पूर्वीह्न 11:00 बजे दो मिनट का मौन घारण करने बारे ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान भारत सरकार के पत्र क्रमांक 2/10/2024-Public, दिनांक 01.01.2025 (प्रति संलग्न) की ओर दिलाते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन शहीदों की स्मृति में दिनांक 30 जनवरी, 2025 को पूर्वाह 11:00 बजे दो मिनट का मौन धारण किया जाए । अतः यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों (चण्डीगढ़ स्थित कार्यालय भी शामिल) में करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय.

2/2/10

अधीक्षक, राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पु0 क्रमांक:- 46/1/95-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 22 जनवरी, 2025

एक प्रति अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र कमांक 2/10/2024-Public, दिनांक 01.01.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

> अधीक्षक, राजनैतिक कतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पु0 क्रमांक:- 46/1/95-5पोल

है।

दिनांक चण्डीगढ़ 22 जनवरी, 2025

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती

अधीक्षक, राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पूर्व प्रति विशेष सचिव, सचिवालय स्थापना, हरियाणा सिविल सचिवालय को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

2/2/10/

अधीक्षक, राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

दिनांक चण्डीगढ 22 जनवरी, 2025

पृ० क्रमांक:- 46/1/95-5पोल

एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग व प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में शहीदी दिवस पूरे मनोयोग से मनाया जाए।

अधीक्षक, राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ० कमांक:- 46/1/95-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 22 जनवरी, 2025

एक प्रति महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रैस नोट जारी करवाने बारे प्रेषित की जाती है ।

3/2/100

अधीक्षक, राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।


दिनांक चण्डीगढ 22 जनवरी, 2025

पृ० कमांक:- 46/1/95-5पोल

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है :-

- 1. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।
- 2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।
- 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा ।
- 4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा ।

अधीक्षक, राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।



(1) (4)

North Block, New Delhi. Dated: 1st January, 2025

The Chief Searcharies / Administrators of all State Governments / Wallon Territory Administrations

0 1 JAN 2025

Subject: Observance of silence on 30th January (Martyrs' Day) in the memory of those who sacrificed their lives during struggle for India's freedom-

Sir/Madam,

To.

(.C. |0|01|2025

l am directed to say that on 30th January, every year, two minutes' silence is observed at 11.00 AM., throughout the country, in the memory of those who sacrificed their lives during the struggle for India's freedom.

- 2. The following standing instructions have been laid down for observance of this day:
  - (i) Silence should be observed and work and movement stopped for two minutes throughout the country at 11.00 A.M. on 30th January.
  - (ii) Wherever feasible, the commencement and termination of the two minutes' silence period should be indicated by sound of siren or Army guns. Sirens should be sounded from 10.59 hours till 11.00 hours and after two minutes, all clear sirens should again be sounded from 11.02 hours till 11.03 hours. This procedure may be adopted where sirens exist.
  - (iii) On hearing the signal (wherever available), all persons would stand up and observe the silence.
  - (iv) At places where no signal systems is available, suitable instructions can be issued to all concerned for observing the silence for two minutes at 11.00 A.M.

3. In the past, it has been observed that while two minutes' silence is observed in some offices, the general public goes about its occupation in the ordinary course, unmindful of the solemnity of the occasion. The State/Union Territories Governments are requested to ensure that the Martyrs' Day is observed with due solemnity. State/Union Territories Government may issue instructions to all educational institutions and Public Sector Enterprises under their control for observance of the Martyrs' Day, accordingly. Talks/speeches on freedom struggle and national integration may also be organised including in hybrid mode.

Yours faithfully,

Diary No. 52 43

(Debobroto Basu)
Under Secretary to the Government of India
2: 011-23092421

for NIA as per pule

U.S. Polytical

1 to local

Stal-PP

040/11/29

Copy, for information, to the Secretary to the Governors/Lt. Governors of all States/ Union Territory Administrations.

(Debobroto Basu) vernment of India

Under Secretary to the Government of India 2: 011-23092421

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1. All Ministries/Departments of the Government of India.
- 2. President's Secretariat
- 3. Vice-President's Secretariat
- 4. Prime Minister's Office
- 5. Registrar, Supreme Court of India
- 6. Registrar, Delhi High Court
- 7. Cabinet Secretariat
- 8. Rajya Sabha Secretariat
- 9. Lok Sabha Secretariat
- 10. NITI Aayog
- 11. Election Commission of India
- 12. Union Public Service Commission
- 13. Office of Comptroller and Auditor General of India
- 14. Central Vigilance Commission
- 15. University Grants Commission
- 16. National Commission for SCs
- 17. National Commission for STs
- 18. Law Commission
- 19. National Commission for Minorities
- 20. National Commission for Women
- 21. National Human Rights Commission
- 22. Manager, Reserve Bank of India
- 23. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs located at Delhi / New Delhi.
- 24. AD-III Section, Ministry of Home Affairs.
- 25. Principal Information Officer, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
- 26. ADG (Media), Ministry of Home Affairs, North Block.

Spare copies 5

(Debobroto Fasu)
Under Secretary to the Government of India

2: 011-23092421

## सं. 2/10/2024-पब्लिक भारत सरकार गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक: 01 जनवरी, 2025

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव/प्रशासक

विषय:- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 30 जनवरी (शहीद दिवस) को मौन धारण करना।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में प्रति वर्ष 30 जनवरी को पूरे देश में पूर्वाह्न 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखा जाता है।

- 2. इस दिवस को मनाने के संबंध में निम्नलिखित स्थाई अनुदेश निर्धारित किए गए हैं :
  - (i) 30 जनवरी को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूरे देश में मौन रखा जाना चाहिए और काम तथा गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।
  - (ii) जहां कहीं संभव हो, दो मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जानी चाहिए। सायरन 10.59 बजे से 11.00 बजे तक बजाए जाने चाहिए.और दो मिनट के बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक पुन: क्लियर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहां सायरन उपलब्ध हो वहां यह कार्यविधि अपनाई जाए।
  - (iii) सिगनल (जहां उपलब्ध हो), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें।
  - (iv) जिन स्थानों पर सिगनल की कोई व्यवस्था न हो, वहां पूर्वाह्न 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।
- 3. विगत में यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है, परंतु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने काम में लगी रहती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि शहीद दिवस को पूरी गम्भीरता के साथ मनाया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, तदनुसार, शहीद दिवस को मनाने के संबंध में अपने नियंत्रणाधीन सभी शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी कर सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के बारे में वार्ताएं / भाषण हाइब्रिड मोड में भी आयोजित किए जाएं।

भवदीय,

े देबोब्रोतो बासु)

अवरसचिव, भारत सरकार दूरभाष: 011-23092421 प्रतिलिपि, सभी राज्यों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों के सचिवों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> ्र (देबोब्रोतो बासु) अवरसचिव, भारत सरकार दूरभाष: 011-23092421

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 2. राष्ट्रपति सचिवालय
- 3. उपराष्ट्रपति का सचिवालय
- 4. प्रधान मंत्री **कार्यालय**
- रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
- रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
- 7. मंत्रिमंडल सचिवालय
- 8. राज्य सभा सचिवालय
- 9. लोक सभा सचिवालय
- 10. नीति आयोग
- 11. भारत का निर्वाचन आयोग
- 12. संघ लोक सेवा आयोग
- 13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
- 14. केंद्रीय सतर्कता आयोग
- 15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- 16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 18. विधि आयोग
- 19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- 20. राष्ट्रीय महिला आयोग
- 21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
- 23. दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
- 24. प्रशसन-॥। अनुभाग, गृह मंत्रालय
- 25. प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
- 26. एडीजी (मीडिया), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक.

<u> 5 अतिरिक्त प्रतियां</u>

्रिबोब्रोतो बासु) अवरसचिव, भारत सरकार दूरभाष: 011-23092421